न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या – 61/2018
निर्णय दिनांक– 14.06.2019

उनवान

कैलाशी पत्नी रामकिशन जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोक

–प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोक

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र 128 व 111 भू राजस्व अधिनियम
उपस्थित
श्री हरिराजसिंह प्रार्थीया वकील

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 404 रकबा 0.19 है, ख0न0 471/405 रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम खेडली तह0 उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है तथा सह खातेदार की सहमति से उक्त सम्पूर्ण आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात की सीमाऐ समाप्त हो चुकी है। इस हेतु प्रार्थीया ने पूर्व मे भी दिनांक 25.5.16 व 6.06.2016 को सीमाज्ञान करवाया था। उसके उपरान्त भी पडोसी काश्तकार आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न करते है तथा पूर्व मे करवाये गये सीमाज्ञान को न मानकर प्रार्थीया की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीया अनावश्यक विवादों से बचने के लिये अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी पुलिस एवं इमदाद की उपस्थिति मे करवाना चाहती है।

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 404 रकबा 0.19 है, ख0न0 471/405 रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम खेडली तह0 उनियारा जिला टोंक का सीमाज्ञान व पत्थरगढी पुलिस इमदाद की उपस्थिति मे करवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। कया गया।

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि सीमाज्ञान व पत्थरगढी वाले खसरा नम्बर शामलाती खाते के है। इसलिये सहखातेदारान की सहमति आवश्यक है। सलंग्न मौका रिर्पोट सीमाज्ञान पटवारी के आधार पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जा सकती है। पडोसी खातेदारों व पुलिस जाप्ते की मौजूदगी भी जरूरी है।

प्रार्थी वकील की बहस सूनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम खेडली पटवार क्षैत्र बिलोता मे आराजी ख0न0 404 रकबा 0.19 व 471/405 रकबा 2.44 है0 हरिकिशन पुत्र हरिचन्दर हि0 1/2 राहिन बैंक आफ बडोदा शाखा अलीगढ श्रीमती कैलाशी ध0प0 रामकिशन हि0 1/2 जाति मीना सा0 बिलोता राहिन आन्ध्र बैंक शाखा चोरू दर्ज रिकार्ड है। सह खातेदार हरिकिशन ने भी राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिलोता मे उपस्थित होकर सीमाज्ञान कराये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रार्थीया के द्वारा पूर्व मे भी वादग्रस्त आराजीयात के सीमाज्ञान किये जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये है, परन्तु विधिवत सीमाज्ञान नही कराया गया है। प्रार्थीया अपनी संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवो जाने की अधिकारी है।

अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0न0 आराजी ख0न0 404 रकबा 0.19 व 471/405 रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम बिलोता का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करे। फरीकेन खर्चा अपना अपनां वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner